

संदर्भ सं. राबैं.डॉस.सीएफएमसी/ 625 / पी-80/ 2019-20



31 मई 2019

(परिपत्र संख्या 156 /2019-20) डॉस - 15

मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ अध्यक्ष

सभी राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

प्रिय महोदय,

बैंकों द्वारा धोखाधड़ी की निगरानी और रिपोर्टिंग दिशानिर्देशों के पालन पर अध्ययन

बोर्ड ऑफ सुपरविजन (BoS) के निर्देशों के अनुसार, बैंकों में धोखाधड़ी की निगरानी प्रणाली की जांच करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर 16 बैंकों का अध्ययन किया गया था। साथ में नाबाई के परिपत्र संख्या 239 / DoS.25 / 2017 दिनांक 29.09.2017 (StCBs / DCCBs के लिए) और नंबर 284 / DoS-43/2016 दिनांक 06.12.2016 (RRBs के लिए) में बताए गए धोखाधड़ी निगरानी और रिपोर्टिंग दिशानिर्देशों के पालन की भी जांच की गई।

2. अध्ययन से पता चला कि ग्राहकों की मिलीभगत के साथ या बिना स्टाफ की भागीदारी 92% धोखाधड़ी में एक आम विशेषता थी। सिस्टम और प्रक्रियाओं के पालन में कमी और इंटर-ब्रांच के सामंजस्य और अन्य खामियों में देरी को भी धोखाधड़ी के अन्य कारणों के रूप में बताया गया। 50% से अधिक धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाने में देरी देखी गई है। यह प्रभावी आंतरिक जांच और नियंत्रणों के साथ मिलकर मजबूत प्रणालियों और प्रक्रियाओं की स्थापना और कार्यान्वयन की आवश्यकता को इंगित करता है। मूल्यांकन की गुणवत्ता और ऋण निगरानी प्रणाली की प्रभावशीलता अपर्याप्त बताई गई थी। अध्ययन किए गए 50% बैंकों ने बताया कि ऋण खातों की वार्षिक समीक्षा नहीं की जा रही है जिसमें स्टॉक की पर्याप्तता, स्टॉक स्टेटमेंट की प्राप्ति आदि की जांच शामिल है।

3. समवर्ती लेखा परीक्षा, आंतरिक निरीक्षण निर्धारित स्टॉक ऑडिट, कानूनी लेखापरीक्षा और ऑडिट और निरीक्षण टिप्पणियों के खराब अनुपालन के साथ-साथ कर्मचारियों के घूर्णन नहीं होने के कारण अंत में आंतरिक जांच कमजोर होती है, धोखाधड़ी की घटनायें हो जाती हैं और धोखाधड़ी का पता लगाने में देरी होती है। कम्प्यूटरीकृत वातावरण में बरती जाने वाली बुनियादी सावधानियों को अपनाने में भी चूक हुई है। उपयोगकर्ता आईडी- पासवर्ड समझौता, सिस्टम में लूप होल्स आदि का उपयोग धोखाधड़ी करने के लिए किया गया है। कम्प्यूटरीकृत वातावरण में काम करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर कर्मचारियों का संवेदीकरण आवश्यक है। बैंकों में कुल मिलाकर जोखिम प्रबंधन अपर्याप्त है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पर्यवेक्षण विभाग

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 • टेलि. : +91 22 2653 0017 • फैक्स : +91 22 2653 0103 • ई-मेल : dos@nabard.org

Department of Supervision

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel. : +91 22 2653 0017 • Fax : +91 22 2653 0103 • E-mail : dos@nabard.org


3. इस संबंध में, हम निम्न के रूप में अनुपालन के लिए धोखाधड़ी निगरानी दिशानिर्देशों के प्रमुख पहलुओं को दोहराते हैं :

- i. बैंकों को धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन और धोखाधड़ी की जांच संबंधी कार्य के लिए अपने बोर्ड के अनुमोदन से आंतरिक नीति बनानी चाहिए.
- ii. बैंकों को धोखाधड़ी के मामलों की वार्षिक समीक्षा करनी चाहिए और इसकी रिपोर्ट बोर्ड की सूचना और मार्गदर्शन हेतु प्रस्तुत करनी चाहिए.
- iii. मूल कारणों की पहचान करने के लिए धोखाधड़ी के मामलों का विश्लेषण किया जाना चाहिए, जांच करें कि क्या सिस्टम और प्रक्रियाओं का सावधानीपूर्वक पालन किया जाता है या मनाया गया है, और यदि सिस्टम और प्रक्रियाओं में इतना आवश्यक सुधार किया गया है।
- iv. धोखाधड़ी के जिन मामलों में प्रणालीगत और प्रक्रियागत उल्लंघन पाया गया हो, ऐसे मामलों में स्टाफ का उत्तरदायित्व तय किया जाना चाहिए.
- v. बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार धोखाधड़ी के मामले जांच के लिए स्थानीय पुलिस/ सीबीआई को भेजे जाएं.
- vi. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार होगी.
- vii. ₹.20.00 लाख और इससे अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुप्रवर्तन और जांच करने के लिए अलग से बोर्ड की विशेष समिति गठित की जाए.
- viii. सुनिश्चित करें कि 100% प्रावधान धोखाधड़ी की कुल राशि को कवर करने के लिए किया गया है। नाबार्ड के रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म (ENSURE) में त्रैमासिक रूप से जांचे जाने और प्रावधान को अद्यतन किए जाने की पर्याप्तता।
- ix. बैंक, पूर्व चेतावनी संकेतकों और खातों की पहचान (रेड फ्लैगिंग ऑफ एकाउन्ट) के अनुप्रवर्तन के लिए आवश्यक व्यवस्था कर लें.

उपरोक्त उल्लिखित दिशानिर्देशों के साथ इस परिपत्र को अनुपालन के लिए अगली बोर्ड बैठक में रखा जा सकता है।

कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

भवदीय



(के राघवेंद्र राव)

मुख्य महाप्रबंधक